

प्रेस नोट दिनांक 19-10-20

जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक षडयन्त्र के तहत फँसाने के उद्देश्य से हत्या के प्रयास का झूठा अभियोग रचने वाले अभियुक्त संदेश उर्फ बाबा पुत्र निहाल सिंह व शिवकुमार उर्फ शिवा निवासीगण ग्राम टापा खुर्द थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 146/2020 धारा 307 भादवि की घटना का सफल अनावरण कर किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल परिवेक्षण में तथा प्र0नि0 फरिहा के नेतृत्व में दिनांक 05.10.2020 को थाना फरिहा में रखावली रोड पर केशव पुत्र महताब सिंह नि0-मो0 गणेशपुरा थाना फरिहा फिरो0 ने सूचना दी कि जब मैं रखावली रोड पर शौच करने जा रहा था तो रखावली की तरफ से एक मोटर साइकिल पर 03 लडके अमर पोरवाल पुत्र विद्याराम 2.राहुल पुत्र कृपा शंकर नि0गण द्वारिकापुरी थाना उत्तर एक अन्य लडके के साथ आये और पेट में गोली मारकर रखावली की तरफ भाग गये हैं इस पर तत्काल मजरूब केशव को इलाज के लिये ट्रामा सेन्टर भेजा गया तथा घटना की रिपोर्ट केशव की पत्नी ममता ने थाने में तहरीर दी कि मेरे पति केशव ने बताया कि जो केशव की भाजी राखी को राहुल पुत्र कृपाशंकर नि0-द्वारिकापुरी थाना उत्तर को राहुल भगाकर ले गया था जिसमें अमर पोरवाल एवं अन्य ने सहयोग किया था जो आपस में रिश्तेदार हैं आज उसी रंजिश को लेकर 03 लोग आये जिसमें अमर पोरवाल ने जान से मारने की नियत से पेट में गोली मार दी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 146/20 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा विवेचना व0उ0नि0 श्री महेश सिंह के सुपुर्द हुई विवेचना प्रारम्भ से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी गहनता से जांच करने पर पाया गया कि केशव के बहनोई पप्पू ने मुकदमा 321/20 धारा 366/506 भादवि थाना उत्तर में पंजीकृत कराया था मा0न्यायालय द्वारा राखी बालिग होने के कारण एफआईआर शून्य कर दी गयी जिसके आधार पर मुकदमा समाप्त कर दिया गया इसी का बदला लेने के लिये केशव ने अपने भाई अजय व साथी शिवकुमार उर्फ शिवा ,संदेश नि0गण टापा खुर्द थाना उत्तर फिरो0 व ओमकार के साथ षडयन्त्र के तहत फर्जी चोंट बनाकर बुलेट प्लान करके धारा 307 भादवि का रूप दिया गया जिसमें नामित अभियुक्तों की नाम जदगी गलत की गयी तथा धारा 307 के साथ 193/120बी की भादवि की वृद्धि की गयी उपरोक्त अभियोग में फर्जी घटना बनाने में प्रकाश में आये जिसमें अभि0 संदेश उर्फ बाबा पुत्र निहाल सिंह व शिवकुमार उर्फ शिवा निवासीगण ग्राम टापा खुर्द थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को दिनांक 18.10.20 को एस0ओ0जी0 टीम और थाना पुलिस टीम द्वारा कोटला रोड पर चनौरा पुल पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा घटना के समय असली रूप देने के लिये तमंचा से किये गये फायर को

अभि0 शिवकुमार की निशादेही पर एक तमंजा देशी 315 बोर मय नाल में फंसा खोका कारतूस बरामद किया गया है का सफल अनावरण किया गया है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ।

प्रकाश में आये अभियुक्तगणों के नाम पता व आपराधिक इतिहास -

1.केशव पुत्र महताब सिंह हाल नि0 मो0 गणेशपुरा थाना फरिहा (फर्जी चोट अपने पेट में बनवायी गयी)

(A) मु0अ0सं0 – 96/2020 धारा 41/102 सीआरपीसी व 120 बी भादवि थाना उत्तर ।

(B) मु0अ0सं0 – 98/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर ।

2.अजय पुत्र अफसर नि0 द्वारिकापुरी थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

3.शिवकुमार उर्फ शिवा उर्फ छोटेलाल पुत्र कालीचरन नि0-टापाखुर्द थाना उत्तर ।

(A) 215/19 धारा 302 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

4.संदेश उर्फ बाबा पुत्र निहाल सिंह नि0-टापाखुर्द थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

(A) 1010/16 धारा 392/411 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

(B) 1015/16 धारा 41/102 सीआरपीसी 411 भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

(C) 1016/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

(D) 949/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

(E) 595/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद ।

5.ओमकार पुत्र नामालूम

सम्बन्धित अपराध का विवरण –

मु0अ0सं0 146/20 धारा 307/193/120बी भादवि थाना फरिहा जिला फि0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री संजीव कुमार चौधरी थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

उ0नि0 श्री कुलदीप चौहान प्रभारी एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।

व0उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 826 घनेन्द्र सिंह थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 829 धर्मेन्द्र कुमार थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 517 सुरेन्द्र कुमार थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 1031 रविन्द्र सिंह एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 812 राहुल यादव एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 1192 नदीम खान एसओजी जनपद फिरोजाबाद ।

कानि0 406 आशीष शुक्ला सर्विलांस सैल जनपद फिरोजाबाद ।